न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

पीठासीन अधिकारी	:	पुरवा चतुर्वेदी, आर0जे0एस0 (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
जमानत प्रार्थना पत्र सं0	:	296 / 2026
सीआईएस नं0	:	529 / 2026

विनोद कुमार शर्मा उर्फ विनोद पण्डया पुत्र मांगीलाल, उम्र 37 साल, निवासी धोली गुमटी कोलाना पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक .....अप्रार्थी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 एफआईआर सं0 282 / 2025 पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व अपराध अंतर्गत धारा 305 (ए), 331 (4) बी0एन0एस0

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी / अभियुक्त।
2. श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक, अप्रार्थी सरकार।

:: आ दे श :: **दिनांक : 18.06.2026**

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई, अनुसंधान पत्रावली तलब की गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09.06.2025 को परिवादी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हुकम सिंह ने पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि ''दिनांक 09 जून 2025 की रात्रि लगभग 1.44 बजे मेरे निवास स्थान पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के समय मैं अपनी नाइट ड्यूटी पर गया हुआ था और मेरी पत्नी सुरेश देवी किसी विवाह समारोह के सिलसिले में हरियाणा गई हुई थी, जिससे घर पूर्णतः खाली था। अज्ञात चोरों द्वारा मेरे घर से निम्नलिखित कीमती सामान एवं नकद राशि चोरी कर ली गई 1. चांदी की 7 जोड़ियाँ पायल 2. सोने की चेन 3. सोने की 2 अंगूठियों 4. सोने की। जोड़ी ईयररिंग्स 5. चांदी की चेन 6. चांदी के 32 सिक्के 7. चांदी के 13 नोट 8. छोटे सोने की 2 जोड़ियां बालिया 9. सोने की 2 बालियाँ 10. चाँदी की 1 सौमाता 11. चटकियों की 3 जोड़ियों 12. 1,52,800 / – (एक लाख बाबन हजार आठ सौ रुपये) नकद 13. लगभग 2 तोला सोने की 1 चेन 14. सोने की 2 और अंगूठियों 15. चांदी की 2 अंगूठियां मूल रूप से.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 282 / 2025 पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर में अंतर्गत धारा 305 (ए), 331 (4) बी0एन0एस0 में दर्ज की गई

तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी की जमानत का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 480 बी0एन0एस0एस0 विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–14, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर द्वारा दिनांक 12.06.2026 को खारिज किया गया है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से हस्तगत जमानत प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

3. जमानत प्रार्थनापत्र पर उभय पक्षों को सुना गया।

4. अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी प्रकरण में दिनांक 11.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी का आरोपित अपराध से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी के भागने या फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का कथन किया।

6. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त विनोद कुमार शर्मा का पूर्ववर्ती/अन्य आपराधिक रेकार्ड पत्रावली के अनुसार निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं	मु0नं0	धारा	नतीजा	थाना
1.	675/03	454, 380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	बांदीकुई
2.	54/04	454, 380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	बांदीकुई
3.	62/04	380, 411 भा0दं0सं0	चार्जशीट	बांदीकुई
4.	106/04	380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	बांदीकुई
5.	187/04	454, 380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	बांदीकुई
6.	650/11	13 आरपीजीओ	चार्जशीट	बांदीकुई
7.	305/16	51, 52ए, 63, 68ए कॉपीराईट एक्ट	चार्जशीट	बसवा
8.	459/18	457, 380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	अरावली विहार अलवर
9.	21/19	457, 380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	करणी विहार जयपुर
10.	81/19	380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	अरावली विहार अलवर
11.	13/21	379 भा0दं0सं0	चार्जशीट	चित्रकूट जयपुर
12.	16/21	379 भा0दं0सं0	चार्जशीट	झोटवाड़ा जयपुर
13.	74/21	457, 380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	वैशाली नगर जयपुर
14.	121/21	457, 380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	मेहंदीपुर बालाजी दौसा
15.	148/21	380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	बसवा
16.	288/21	380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	बांदीकुई
17.	388/21	457, 380 भा0दं0सं0	चार्जशीट	महवा
18.	615/21	457, 380, 411 भा0दं0सं0	चार्जशीट	राजगढ़ जिला अलवर
19.	628/21	457, 380, 411 भा0दं0सं0	चार्जशीट	राजगढ़ जिला अलवर
20	643/21	16/54 एक्साईज एक्ट	चार्जशीट	राजगढ़ जिला अलवर

7. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अब तक के अनुसंधान से अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 331 (4), 305 (ए), 112 (2) बी0एन0एस0 का अपराध प्रमाणित माना गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी के घर में रखे सोने, चांदी की जेवरात व अन्य सामान अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर चोरी कर ले जाये जाने का आरोप है। अनुसंधान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता दर्शित होती है। इस

स्तर पर अभियुक्त की निर्दोषिता के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुसंधान पत्रावली में संलग्न प्रार्थी / अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार उसके विरूद्ध चोरी, गृह अतिचार एवं अन्य अपराधों से सम्बन्धित 20 प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी / अभियुक्त चोरी करने का आदतन अपराधी है। मुलजिम को यदि जमानत सुविधा का लाभ प्रदान किया जाता है तो इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह पुनः इसी प्रकृति के अपराध में संलिप्त न रहे। प्रकरण में चोरी हुए सामान की बरामदगी भी अभियुक्त के कब्जे से हुई है। वर्तमान समय में इस प्रकृति के प्रकरण दिन–प्रतिदिन निरन्तर रूप से बढ़ रहे है तथा युवाओं में सरल धन प्राप्ति की प्रवृति भी वृद्धि की ओर है। अतः ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता एवं अभियुक्त के आपराधिक आचरण को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

:: आदेश ::

8. परिणामतः प्रार्थी / अभियुक्त विनोद कुमार शर्मा उर्फ विनोद पण्डया द्वारा प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर

9. आदेश आज दिनांक 18.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर